

2018/00032

Handwritten signature/initials

नाम  
व्याजालय (राजस्व) लुनाकरणसर, जिला बीकानेर

सरकार का नाम श्री - श्री. राजेश कुमार शर्मा

विजय मुकदमा - आर.सी.ए. 1050 की धारा 22

एल. आर. एक्ट 1050 की धारा 9

मुकदमा नम्बर 24/18 वर्ष 2018 फराल 2018

आदेश दिनांक कार्यवाही विवरण आदेश की आरंभ

22/11/18

पटवारी हल्का 4-101  
की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीव की गई। मुताबिक नोट अप्रार्थी ने  
ग्राम/ब्लॉक 2-15, 212-17 के  
खराबा नं./प्लॉक 168

तादादी 0-06 बीघा

राजकीय भूमि पर समत 2014 में  
नाजायज कब्जा कर खसत कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/1 के तहत नोटिस  
जारी किया जावे एवं पत्रावली निरीक्षण को पत्रालय के पत्र निम्न  
जम्मे। पत्रावली आदेश दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

श्री. मु. शर्मा

25/22/18

8/2/18

6 मवली पेश हुई। सन्दर्भ के अनुसार  
उपस्थित। इसके द्वारा पत्रावली को खसत  
को हार्जिल मिलान किया गया। उक्त पत्रावली  
का प्रत्येक प्रथम से लिया जाकर हार्जिल  
मिलान किया गया!

श्री. राजेश कुमार शर्मा

खरीदने के पत्र  
109 के उक्त पत्र  
मोड प्रथम से  
गयी।

77A  
12/11/18

61120  
न्यायालय, तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

प्रकरण संख्या 74 / 2018

दिनांक: 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 3001 ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सन्वत् 2074 में गैर सायल 2912म पुत्र 21मलील जाति गुनिर साकिन ने ग्राम 457216 के खसरा नं० 168 रकबा 0.68 बीघा जोहड पायलत्र, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/वाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बंधित गैर सायल का रामुस अधि 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नादेस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मितल किया गया। संबंधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि सत्तापजनक नहीं होने के कारण से सम्बंधित गैर सायल 2912म पुत्र श्री 21मलील जाति गुनिर साकिन 3001 ग्राम 457216 खसरा नं० 168 रकबा 0.68 बीघा के अतिक्रमण करने पर राज भू-राजस्व, अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 0.16 के का 50 गुणा रूपये 0.81 शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। वेदखली बावत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जर्मन वसुली बावत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बावत टी आर ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)  
लूनकरणसर